न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 37/2018 (अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

टीकाराम पुत्र श्रीया जाति ब्राहमण निवासी बन्ध बारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)

.............अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर ।

..................रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 13.12.2017 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 13.12.2017 ग्राम बन्ध बारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक : 13.03.2019

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 13.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत तहसीलदार बयाना ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2017 से मुताविक हुकमन आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना दिनांक 12.12.2017 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 13.12.2017 स्वीकार किया गया है जिससे विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद

मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 278 ग्राम बन्ध बारैठा के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 3965 रकबा 0.37 व आराजी खसरा नम्बर 3966 रकबा 0.20 वाकै ग्राम महमदपुर तहसील बयाना के किस्म चाही के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता का इन्द्राज अवैध रूप से कर दिया गया है। जो कतई गलत है क्यों कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट व अन्य खातेदारान को न तो कोई नोटिस जारी किये गये और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया न ही वास्तविक मौके की जांच की गई है। तहत अदालत तहसीलदार बयाना द्वारा इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया गया कि जिस तथाकथित फर्जी कार्यवाही के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया जा रहा है वह पूर्ण रूप से फर्जी है व गैर कानूनी है व मौके के विपरीत है। ऐसे बेबुनियाद कार्यवाही के आधार पर तहत अदालत द्वारा बिना कोई प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 278 स्वीकार कर लिया है जो न्याय संगत न होने के कारण काबिले मंसूखी है। इसके अलावा यह कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज आराजी में कोई भी किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम ही नहीं है ना ही कभी रहा है ना ही वर्तमान में है बल्कि वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण आराजी का सम्पूर्ण भाग दो फसली है जिसमें दोनों फसल होती है व उक्त आराजी चारों ओर से खेतों से घिरी हुई भी है तथा उक्त आराजी की स्थिति व डोल मैडों की स्थिति आज भी उसी प्रकार कायम है जो सैंकडों साल पूर्व थी। इसके बाबजूद भी तहत अदालत ने बिना कोई जांच किये तथ्यों से परे जाकर अपीलान्ट की बैक पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो कतई न्याय संगत नहीं है। जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी है इसलिऐ यह अपीलाधीन नामान्तरकरण काबिले मंसूखी है। इसके अलावा उपर्युक्त कार्यवाही फर्जी है इसलिऐ इसको पूर्णरूपेण गोपनीय रखा गया ताकि अपीलान्ट को इसकी मालूमात न हो सके। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ इस आदेश की अपीलान्ट को कतई इल्म नहीं था। इस आदेश की अपीलान्ट को पहली बार जानकारी राजस्व अभियान में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 1.5.2018 को धमकी देने पर व दिनांक 11.5.2018 को नकल लेने पर हुई। इस अन्याय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष रिवीजन पेश की गई तो राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील पेश करने का आदेश पारित किया गया। अतः अपील अन्दर मियाद पेश है । कानून के अनुसार गैर कानूनी आदेश के विरूद्ध या

नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई समय सीमा तय नही मानी जाती है फिर भी अपीलान्ट के द्वारा दफा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से पेश किया गया है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को माफ करते हुये अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 13.12.2017 ग्राम बन्ध बारैठा तहसील बयाना निरस्त फरमाया जाकर दिनांक 13.12.2017 से पूर्व की स्थिति वहाल किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा हुक्मन आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना दिनांक 12.12.2017 की पालना में विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है क्यों कि तहत अदालत में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 278 नियमानुसार उपखण्डाधिकारी बयाना के आदेश दिनांक 12.12.2017 की पालना में स्वीकार किया गया है। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि खेरिया मोड से बन्ध बारैठा जाने वाली पक्की सडक के ग्राम बन्ध बारैठा में इस सडक से गोठडा जाने वाले रास्ते जो मौके पर कदीमी रूप में चालू स्थायी रास्ता है जिसका वकायदा राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में अंकन है । यह रास्ता मौके पर 30 से 40 फीट का स्थायी कदीमी पीढियों पुराना रास्ता है। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 12 एवं भू अभिलेख नियम 1957 नियम 58(2) के तहत पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ तहसीलदार बयाना द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति से रूबरू होने के लिये वकायदा मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा रिपोर्ट भी तैयार की गई है जिस पर सक्षम राजस्व अधिकारियान / कर्मचारियान के हस्ताक्षर मौजूद है जो बतौर साक्ष्य पत्रावली पर भी मौजूद है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित जमीन की वास्तविक मौका स्थिति के अनुसार गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अंकन किया जाना जनहित में एवं नक्शे के अनुरूप राजस्व रिकार्ड की स्थिति करने हेतु न्यायोचित रहता है। हुक्मन आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.8.2016 के परिपेक्ष्य में आदेश दिनांक 12.12.2017 पारित किया गया

है और उसी की पालना में तहसीलदार बयाना द्वारा विधिवत तरीके से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 13.12.2017 स्वीकार किया गया है जो न्याय संगत है। इसके अलावा राजकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 पालना में बाद कार्यवाही हुक्मन आदेश के परिपेक्ष्य में ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। हुक्मन आदेश/डिक्री की पालना में खोले गये अपीलाधीन नामान्तरकरण को अपील के माध्यम से न तो चुनौती दी जा सकती है न ही यह कानूनन संभव है। क्यों कि जब तक हुक्मन आदेश दिनांक 12.12.2017 आस्त्वि में रहता है उसकी पालना में खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा यह स्पष्ट सिद्यान्त प्रतिपादित किये गये है कि **जब तक मूल आदेश आस्तित्व में है तब तक उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है।** यदि अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण से कोई गुरैज है तो वह उस हुक्मन आदेश जिसके परिपेक्ष्य में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है को चुनौती देकर उसे निरस्त कराये जाने हेतु स्वतन्त्र रहते है यदि वह हुक्मन आदेश निरस्त हो जाता है तो उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण स्वतः ही निरस्त हो जायेगा । इस प्रकरण में 75 L.R. Act के अंतर्गत नामान्तरकरण को निरस्त कराने का अपीलान्ट कतई अधिकार नहीं रखता है क्यों कि आज दिनांक तक हुक्मन आदेश दिनांक 12.12.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना आस्तित्व में है जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है और न ही किसी के द्वारा इसको कोई चुनौती दी गई है। इसके अलावा विवादित आराजी के संबध में न तो कोई स्थगन था और ना ही वर्तमान में है। इसलिऐ यह अपील खारिज की जावे। तहत अदालत ने हुक्मन आदेश दिनांक 12.12.2017 के आधार पर ही बाद जांच नियमानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो कानून के दायरे में रह कर ही पारित किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में कहीं कोई कानूनी अनियमिता नहीं है। इसके अलावा अपील मियाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य रहती है क्यों कि अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी का कोई सन्तोषजनक कारण भी नहीं बताया गया है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 13.12.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

... सक कि उक्त आदेश दिनांक 12.12.2017 को

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम नम्बर 14–16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि तहत अदालत तहसीलदार बयाना ने उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 की पालना में मुताबिक हुक्मन आदेश अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 278 बाद जांच स्वीकृत किया गया है ऐसे में नामान्तरकरण की कार्यवाही को विधिविरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलान्ट यह कहते हुये अपील में आये है कि उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 फर्जी है। इसलिऐ उसके आधार पर स्वीकृत किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध वहालत मौजूदा रिकार्ड के आधार पर हम वकील अपीलान्ट के इस कथन से तब तक इत्तेफाक नहीं रखते है जब तक कि उक्त आदेश दिनांक 12.12.2017 की वैद्यता के विरूद्ध सक्षम अदालत में चुनौती नहीं दी जाती एवं उसमें अन्तिम परिणाम सामने नहीं आ जाता। अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस हुक्मन आदेश के आधार पर स्वीकृत किया गया है उसकी वैद्यता/अवैद्यता सक्षम न्यायालय द्वारा तय नहीं कर दी जाती तब तक उसकी पालना में खोले गये नामान्तरकरण की कार्यवाही को अवैद्य नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में 75 एलआरएक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत नामान्तरकरण की अपील में उस आधार (हुक्मन आदेश दिनांक 12.12.2017) का परीक्षण किया जाना न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार न होने के कारण मुनासिब नहीं रहता है । अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य सबूत भी अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि उक्त आदेश दिनांक 12.12.2017 को

सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका हो अथवा दौराने स्वीकृति अपीलाधीन नामान्तरकरण किसी सक्षम अदालत का स्थगन आदेश प्रभावी हो। अर्थात वर्तमान में उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 आस्तित्व में है और इस आदेश के आस्तित्व में रहते हुये उसके आधार पर स्वीकार किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 13.12.2017 में कोई विधिक त्रुटि न होने के कारण हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार बयाना द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 13.12.2017 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनाक 13.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत तहसीलदार बयाना ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2017 से मुताविक हुकमन आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना दिनांक 12.12.2017 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 13.12.2017 स्वीकार किया गया है जिससे विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद